

**AGREEMENT FOR RECOGNITION OF
EXPORT INSPECTION & CERTIFICATION SYSTEM OF
EXPORT INSPECTION COUNCIL OF INDIA
FOR
IMPORT INSPECTION SCHEME OF
THE BHUTAN AGRICULTURE AND FOOD REGULATORY AUTHORITY**

The Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority, Ministry of Agriculture and Forests, Royal Government of Bhutan, having its seat at Thimphu, Bhutan, hereinafter referred to as BAFRA,

AND

The Export Inspection Council of India, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, having its seat at 3rd Floor, NDYMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-110001, India, hereinafter referred to as EIC,

(Hereinafter jointly referred to as Parties and individually as a Party)

WITH A VIEW TO:


RECOGNIZING and maintaining equivalence of the export inspection and certification system of EIC with BAFRA's Import Inspection System;

ENSURING that food and agricultural products exported from India to Bhutan are safe, wholesome and meet BAFRA's requirements¹;

REDUCING duplication in the inspection of products notified under BAFRA's Import Inspection Scheme from time to time

GUIDED by their wish to establish a working mechanism between BAFRA and EIC; develop, cooperate and facilitate the trade, have come to the following Agreement:

¹ The standard specified by the BAFRA for the product and wherever BAFRA's Standards for the product not available should meet India's National standards for the product in question.



1. SCOPE

This Agreement covers all food and agricultural products which are under the ambit of BAFRA's Import Inspection Scheme, as amended from time to time and recognition of EIC's export inspection & certification system by BAFRA in the widest sense possible to facilitate bilateral trade on the basis of equal entitlement, mutual benefit and amicable cooperation.

2. OPERATIONS UNDER THE AGREEMENT

EIC

- 2.1. The EIC through its five field organisations, the Export Inspection Agencies (EIAs) established by Govt. of India, having headquarters at Mumbai, Kolkata, Kochi, Delhi and Chennai, shall operate its quality assurance program [Consignment-wise Inspection / In Process Quality Control System based certification / Food Safety Management System based certification, whichever is applicable] for the products covered under the Agreement, to ensure that the products exported to Bhutan conform to requirements prescribed by BAFRA including any other applicable regulatory requirement.
- 2.2. The EIC shall provide evidence of authenticity of certificates issued by EIC as and when requested by BAFRA.
- 2.3. The EIC shall immediately take appropriate remedial action including legal action, where required, whenever any non-compliance is reported by BAFRA.
- 2.4. EIC shall extend cooperation in terms of training and capacity building, wherever required by BAFRA.

BAFRA

- 2.5. BAFRA through its regulations shall recognize the export inspection and certification system of EIC so that the Certificates issued by EIC / EIAs are accepted by the Bhutan Authorities at their border entry points as a proof of the commodity complying with the requirements prescribed by BAFRA



including any other applicable regulatory requirement so that the commodities are not subjected to routine inspection. The BAFRA may however, consider conducting random verification checks to ensure continued compliance of products covered under this Agreement.

2.6. The BAFRA shall immediately notify EIC whenever a consignment exported under EIC's certification system is found not complying with BAFRA's requirements.

GENERAL


2.7. Both BAFRA and EIC shall cooperate with each in taking required action in case of violation of any regulatory requirement in respect of the products covered under the Agreement. However, any legal action to be taken shall be governed as per the existing laws of the respective country.

3. ASSESSMENT OF EIC'S EXPORT CERTIFICATION SYSTEM

The BAFRA, if required, may request EIC for assessment of its export certification system in respect of product(s) covered under this Agreement. The dates and frequency of such assessments shall be mutually decided between the Parties. These assessments shall be conducted according to the Annex of Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26 1997 Revision 2010). The EIC shall take timely action on the agreed outcome of such assessments.

4. CRITERIA FOR CERTIFICATION

The EIC shall issue certificates only if its export certification system establishes that the product is complying with the requirements prescribed by BAFRA including any other applicable regulatory requirement. The format of the certificates to be issued shall be as agreed to by the BAFRA. Health Certificates for food products, wherever required, shall also be issued by EIC as per the format specified by BAFRA.



5. TRANSPARENCY, INFORMATION EXCHANGE AND COOPERATION

5.1. Both the Parties shall co-operate and communicate to the fullest practicable extent their requirements as well as any changes in their requirements that may be relevant to the other Party and have an effect on the operation of this Agreement. This shall include, but not be limited to, legislations, regulations, policies, procedures and guidelines concerning enforcement and inspection.

5.2. BAFRA shall provide information to EIC in respect of Bhutan's import inspection operations. Access to Bhutan's import administration and establishments shall be granted to the officials of Export Inspection Council, where required.


5.3. Both Parties understand that any and all activities under this Agreement shall be subject to the availability of funds and resources and the laws governing the respective Party. Unless agreed otherwise, the travel, boarding and lodging costs of delegations to be exchanged shall be covered by the sending Party and the receiving Party shall provide the logistics support.

6. CONFIDENTIALITY

6.1. Information and correspondence under this Agreement shall be treated "confidential" by both parties and utilized for the purpose of operation of this Agreement only. Such information & correspondence shall not be shared with third parties without prior written permission of the concerned Party.

6.2. The confidentiality obligations imposed upon the Parties under this Agreement shall not apply to information which;

- a) is already a part of the public domain, through no fault of the parties;



- b) is in the possession of one of the Parties prior to the receipt of the information under this Agreement;
- c) is received by one of the Parties from a third party with a good legal title thereto;
- d) is required by law or by a court order.

7. LIABILITY

If a claim is filed by a person or organization against a Party to this Agreement, in connection with the activities of the other Party, the Party shall immediately inform the other Party of such claim and send without delay all relevant information and documents. The Party shall not pay the plaintiff any money without the consent of the other Party.

8. VALIDITY OF THIS AGREEMENT


- 8.1. This Agreement is valid from the date of its signing.
- 8.2. This agreement may be terminated by either Party by giving three months' notice in writing.
- 8.3. If during the period of the "notice", a specific assignment is being conducted under the Agreement, the assignment shall continue through its completion.

9. REVIEW & MODIFICATION

This Agreement may be amended and supplemented as mutually consented to in writing by both Parties for further bilateral cooperation.

10. DISPUTE SETTLEMENT

The Parties agree that any dispute controversy or claim, arising out from the implementation or interpretation of this Agreement shall be solved amicably

Two handwritten signatures are present here, likely belonging to the parties involved in the agreement. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more formal and structured.

through consultations, discussions and negotiations and failing which the dispute shall be referred to and decided at government to government level.

11. LANGUAGE

Certificates, test reports, as well as all correspondences pursuant to this Agreement, shall be in English.

12. ADDRESS OF PARTNERS

After the signing of this Agreement, all future communication relating to this Agreement shall be addressed to:

Executive Director **Director (I&Q/C)**
The Bhutan Agriculture and Food Export Inspection Council of India (EIC)
Regulatory Authority (BAFRA)

Signed and sealed and dated this 27th September Day of 2013, in two originals each in the English and Hindi/languages. The two texts should be equally authentic and in case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

For BAFRA

Signature.....
Name. KARMA DORJI
Designation. EXECUTIVE DIRECTOR



For EIC

Signature.....
Name..... S.K. SAXENA
Designation..... DIRECTOR (I&QIO)



भूटान कृषि एवं खाद्य नियामक प्राधिकरण की आयात निरीक्षण योजना के अन्तर्गत, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् की निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली को मान्यता संबंधित करार

भूटान कृषि एवं खाद्य नियामक प्राधिकरण, कृषि और बन मंत्रालय, भूटान सरकार, जिसका कार्यालय थिम्पू, भूटान में स्थित है, इसके पश्चात बीएफआरए के नाम से संदर्भित है,

और

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय तीसरा तल, एनडीवाईएमसीए कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001, भारत में स्थित है, इसके पश्चात ईआईसी के नाम से संदर्भित है।

(जो इसके पश्चात संयुक्त तौर पर पक्षों व व्यक्तिगत तौर पर पक्ष के नाम से संदर्भित हैं)

वैचारिक दृष्टि से:

ईआईसी की निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली को मान्यता देने व इसे बीएफआरए की आयात निरीक्षण प्रणाली के समतुल्य समझने;

सुनिश्चित करने हेतु कि भारत से भूटान को निर्यातित खाद्य एवं कृषि उत्पाद, सुरक्षित, पौष्टिक व बीएफआरए की आवश्यकताओं¹ के अनुरूप हैं;

बीएफआरए की आयात निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत समय-समय पर अधिसूचित उत्पादों के निरीक्षण की पुनरावृत्ति को कम करने;

विकास, सहयोग तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, बीएफआरए व ईआईसी के मध्य एक सुचारू कार्यतन्त्र स्थापित करने की अपनी इच्छा से प्रेरित ;

निम्न समझौते पर पहुँचे हैं ।

1. कार्य क्षेत्र

इस करार के तहत, द्विपक्षीय व्यापार को समान-पात्रता, परस्पर लाभ व सौहार्दपूर्ण सहयोग के आधार पर, सुविधाजनक बनाने के लिए, बीएफआरए की आयात निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत समय-समय पर

¹उत्पाद के लिए बीएफआरए द्वारा निर्धारित मानक तथा जहाँ उत्पाद के लिए बीएफआरए मानक उपलब्ध ना हो वहाँ उत्पाद भारत के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए ।

संशोधित, सभी खाद्य एवं कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में ईआईसी की निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली को बीएफआरए द्वारा व्यापक अर्थों में संभव मान्यता देना शामिल है।

2. करार के तहत संचालन

ईआईसी

2.1 ईआईसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूटान को निर्यातित उत्पाद बीएफआरए द्वारा निर्धारित आवश्यकता व किसी अन्य लागू विनियामक आवश्यकता के अनुरूप है; भारत सरकार द्वारा स्थापित अपने पाँच क्षेत्र संगठनों अर्थात् निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ईआईए) जिनके मुख्यालय मुम्बई, कोलकाता, कोच्ची, दिल्ली और चैनई में स्थित है, के माध्यम से, इस करार के तहत उत्पादों के लिए अपना गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (प्रेषणवार निरीक्षण/प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर आधारित प्रमाणीकरण / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रमाणीकरण, जो भी लागू हो) संचालित करेगा।

2.2 ईआईसी, बीएफआरए के अनुरोध पर, ईआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की सत्यापत्ता के सबूत उपलब्ध कराएगा।

2.3 जब कभी बीएफआरए द्वारा किसी उल्लंधन की सूचना मिलने पर, ईआईसी जरूरत अनुसार, तुरन्त कानूनी कार्रवाई सहित उचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

2.4 ईआईसी, बीएफआरए की जरूरत अनुसार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के मामलों में सहयोग प्रदान करेगा।

बीएफआरए

2.5 बीएफआरए अपने विनियमों के माध्यम से ईआईसी की निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली को मान्यता देगा ताकि सीमा प्रवेश स्थानों पर स्थित भूटान अधिकारियों द्वारा ईआईसी/ईआईए द्वारा जारी प्रमाणपत्र उत्पाद द्वारा बीएफआरए द्वारा निर्देशित आवश्यकताओं व अन्य किसी लागू विनियामक आवश्यकता के अनुपालन के सबूत के तौर पर स्वीकार्य हो तथा उत्पाद नित्य निरीक्षण के दायरे में ना हो। बीएफआरए इस करार के तहत आने वाले उत्पादों के निरन्तर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथापि, यादृच्छिक सत्यापन जार्च कर सकता है।

2.6 जब कभी ईआईसी की प्रमाणन प्रणाली के तहत निर्यातित प्रेषण बीएफआरए की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है, बीएफआरए तुरन्त ईआईसी को सूचित करेगा।

सामान्य

2.7 बीएफआरए व ईआईसी दोनों, इस करार के तहत उत्पादों के संबंध में किसी विनियामक आवश्यकता के उल्लंधन के मामले में, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। तथापि, कोई भी कानूनी कार्रवाई संबंधित देश के मौजूदा कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगी।

3. ईआईसी की निर्यात प्रमाणन प्रणाली का आकलन

बीएएफआरए, यदि आवश्यक हो, इस करार के तहत उत्पादों के सम्बन्ध में, ईआईसी को उसकी निर्यात प्रमाणन प्रणाली के आकलन का अनुरोध कर सकता है। इस तरह के आकलनों की तिथियां तथा आवृति पक्षों द्वारा परस्पर निर्धारित की जाएगी। ये आकलन खाद्य आयात एवं निर्यात निरीक्षण व प्रमाणन प्रणाली के डिजाइन, परिचलन, आकलन और प्रत्यायन के दिशा निर्देशों के अनुलग्नक (सीएसी/जीएल 26 1997 संशोधन 2010) के अनुसार किए जाएंगे। इस तरह के आकलनों के सहमत परिणामों पर, ईआईसी समय पर कार्रवाई करेगा।

4. प्रमाणन के लिए मानदण्ड

ईआईसी केवल तभी प्रमाणपत्र जारी करेगा, यदि इसकी निर्यात प्रमाणन प्रणाली यह सिद्ध करती है कि उत्पाद किसी अन्य लागू विनियामक आवश्यकता सहित बीएएफआरए निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के प्रारूप, बीएएफआरए की सहमति अनुसार होंगे। जहाँ आवश्यक हो, खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ प्रमाणपत्र भी ईआईसी द्वारा बीएएफआरए निर्दिष्ट प्रारूपों में, जारी किए जाएंगे।

5. पादर्शिता, सूचना विनियम और सहयोग

5.1 दोनो पक्ष सहयोग करेंगे तथा अपनी आवश्यकताओं व उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में, जो दूसरे पक्ष के लिए मायने रखते हों तथा इस समझौते के संचालन को प्रभावित करते हों, अधिकतम व्यावहारिक सीमा तक सूचित करेंगे। इसमें विधान, विनियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रवर्तन एवं निरीक्षण से संबंधित दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं किया।

5.2 बीएएफआरए, ईआईसी को भूटान के आयात निरीक्षण संचालन के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। जहाँ आवश्यक हो, ईआईसी के अधिकारियों को, भूटान के आयात प्रशासन एवं प्रतिष्ठानों तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाएगी।

5.3 दोनो पक्ष समझते हैं कि इस करार के अन्तर्गत कोई व सभी गतिविधियां, धनराशि एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा संबंधित पक्ष के कानूनों पर निर्भर करेंगी। जब तक अन्यथा सहमति न हो, प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान में, यात्रा, भोजन व आवास संबंधित व्यय प्रेषक पक्ष वहन करेगा तथा मेजबान पक्ष लोजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा।

6. गोपनीयता

6.1 इस करार के तहत सूचना व पत्राचार को दोनो पक्षों द्वारा गोपनीय माना जाएगा तथा उनका प्रयोग केवल करार के परिचालन हेतु किया जाएगा। ऐसी सूचना एवं पत्राचार, बिना संबंधित पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के, तीसरे पक्षों के साथ साझा नहीं की जाएगी।

- 6.2 इस करार के तहत पक्षों पर लागू गोपनीयता का दायित्व उन सूचनाओं पर लागू नहीं होगा जो:-
- (क) बिना पक्षों की किसी गलती के, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है।
 - (ख) इस करार के तहत प्राप्त होने से पहले ही वह सूचना पक्षों में से एक के पास है।
 - (ग) किसी एक पक्ष को तीसरे पक्ष से प्राप्त हो जिसे उसे रखने या देने का वैध कानून अधिकार है।
 - (ध) कानून या अदालती आदेश द्वारा आवश्यक है।

7. देयता

यदि इस करार के एक पक्ष के विरुद्ध किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे पक्ष की गतिविधियों के संबंध में दावा दायर किया जाता है, तो वह पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे दावे की सूचना तुरन्त देगा और बिना देरी किए सारी प्रासंगिक जानकारी और कागजात देगा। वह पक्ष दावेदार को बिना दूसरे पक्ष की अनुमति के किसी भी पैसे का भुगतान नहीं करेगा।

8. इस करार की वैधता

- 8.1 यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तिथि से मात्र होगा।
- 8.2 यह करार, किसी एक पक्ष द्वारा तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
- 8.3 यदि नोटिस अवधि के दौरान, इस करार के तहत एक विशिष्ट कार्य का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसा कार्य इसके पूर्ण होने तक जारी रहेगा।

9. समीक्षा और संशोधन

यह करार, द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ावा देने हेतु, दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमति से संशोधित व अनुपूरित किया जा सकता है।

10. विवाद निपटान

दोनों पक्ष सहमत हैं कि इस करार के कार्यान्वयन या व्याख्या से उत्पन्न किसी भी विवाद या दावे का निपटान मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श, चर्चा और बातचीत के माध्यम से किया जाएगा तथा ऐसा न होने की स्थिति में, विवाद को सरकारों द्वारा परस्पर निर्णय के लिए सौंप दिया जाएगा।

11. भाषा

प्रमाणपत्र, जाँच रिपोर्ट के साथ साथ इस करार के तहत सभी पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होंगे।

12. भागीदारों के पते

इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्, भविष्य में इस करार से संबंधित सभी संवाद इनको संबोधित किए जाएंगे।

कार्यकारी निदेशक

भूटान कृषि एवं खाद्य नियामक प्राधिकरण (बीएएफआरए)

निदेशक (आई एण्ड क्यूसी)

भारतीय निर्यात नियोक्ता परिषद् (ईआईसी)

दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा, प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर व सील किए गए। दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक होंगे तथा निर्वचन में किसी असंगतता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

बीएएफआरए के लिए

हस्ताक्षर

नाम

करुमा दोर्जी

पदनाम

कार्यकारी निदेशक

ईआईसी के लिए

हस्ताक्षर

नाम

एस. के. सक्सेना

पदनाम

निदेशक (आई एण्ड क्यूसी)



藏文大藏经

‘**ଶୁଦ୍ଧାର୍ଥତି**’ ଅନ୍ତର୍କଳେକ୍ଟିଭ୍ ହୃଦୟରେମାପ୍ରମାଣାର୍ଥଗ୍ରହଣ’ ଯୁ ହୃଦୟରୁଷାଳୁ ପାଶ୍ଚଯାନ୍ତରୁଷାଳୁ ବୈଲାପିତୀର୍ଣ୍ଣରୁଷାଳୁ
କ୍ରମେ ଯାଏ ହୃଦୟରୁଷାଳୁରେଣ୍ଟିଗ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟବାଦାରୁଷାଳୀ

ସୁଅ'ର୍ଦ୍ଧା ଡି'ଅନ୍ତିମ'ଅନ୍ତିକୁ'ବରକୁ'ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ'ପଠା'ଯାଇଲି'ଶୁଣୁ'ଏବଂ'କୁ'ହାନ୍ତିର'ପଦକୁ'ପ୍ରାପ୍ତ' ଆମି'ଶ୍ରୀ
ଶର୍ଵା' କେ'ହାମୟେ'ଶୁଣ'ବିଷାକ୍ତା'କୁ'ବିଷାକ୍ତ' ପାତା'ପାତା'କୁ'କୁଣ୍ଡଳ' ପାପା'ପାପିଦ'ଶୁଣ'ହେଲା
ଶୁଣି'ପ୍ରତ୍ୟେକ'।

¹ The standard specified by the BAFRA for the product and wherever BAFRA's Standards for the product not available should meet India's National standards for the product in question.

1

1

ମୁଦ୍ରଣ

શાન્દિષાન્દુઃ સૂધારની કદમ્બકેવાલીષાન્દુઃસૈવાયુષાણીષાન્દુઃભૂષાન્દુઃયતીષાન્દુઃ વાઠસાન્દુઃઅન્દુઃ
કથાન્દુઃશૈન્દુઃઅન્દુઃ તુષાન્દુઃચુષાન્દુઃસુદ્ધુષાન્દુઃપદ્ધુષાન્દુઃ અિઅદેશીષાન્દુઃ પ્રેશાન્દુઃલ્લેશાન્દુઃન્દુઃન્દુઃન્દુઃ
સૈવાયુષાણુઃ સૂધારનીષાન્દુઃ અવાન્દુઃકેષાન્દુઃશાન્દુઃયાન્દુઃયાન્દુઃશાન્દુઃ
શાન્દુઃઅન્દુઃઅન્દુઃ ન્દુઃયાન્દુઃયાન્દુઃયાન્દુઃયાન્દુઃ શાન્દુઃઅન્દુઃઅન્દુઃ

१. यत्प्रियदेविर्देवी प्रिया मेल।

ଶ୍ରୀଅମ୍ବିଶ

୧.୯ ଶୁଦ୍ଧ'ତ୍ୟ'କମ'ଦୟାଳ'କରୁଣାତ୍ୱ' ଜୀଜାନେ'ତ୍ୟ'କିମ' ଅନ୍ତର୍ବାହିନୀରୁକୁଳାପାଦାନାନେ'
ଶବ୍ଦରୁ' ଶବ୍ଦରୁ'ରୁକୁଳାପାଦାନାନେ'।

१४

1



၃.၆ မြို့အတီရီရှိရှိနှင့်လျှော့သွေးယူစွဲမှုပုံစံဖြင့် မြို့ရေးကိုယ်ပုံစံထိန်းကို မြှင့်တင်ပါ။

୪୮

୧.୩ ଯାପି'ଶ୍ଵିଦ' ଯାଦ'ଫିରା'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି' ପରି ଶେଷ'ଶେଷ'ଶେଷ' ଶ୍ରୀକଷ'ପୁଣ୍ୟ'କାର୍ଯ୍ୟ'ଶ୍ରୀ'ଯାଦ'କୁଦ'ପରା'ପରା'
ପରା'ପରା'ପରା'ପରା'ପରା'ପରା' ସ୍ମୃତି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି'ଦି' ଶ୍ରୀକଷ'କାର୍ଯ୍ୟ'ଶ୍ରୀ'ତନ୍ତ୍ର'ଶ୍ରୀ' ଦିଦ'ପ୍ରେକ୍ଷଣୀ
ଯାଦ'କୁ'ଦିନ'କୁ'ଦିନ'

३. श्री अदिति श्री गोपी विद्याकरण श्री व्याधालग्नी एवं द्वा जिम्बा

ଶ୍ରୀରାଧାକୁଣ୍ଡଳୀ

1

4. རྒྱྲླྷ പ୍ରକାଶ ପାତା ଦେଖିଲୁ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

୫୨ ଶ୍ରୀକୌଣସି'ଯାତ୍ରିଶାହୀଲା' ଯତ୍ନ'ପୀଣି'ଦେଵ'ଯଥା'ପୈକ'ଶ୍ରୀ'କୁଣା'କବ୍ରାଷ'ପେଦ'ଶ୍ରୀ'ଦ' କୌଣସି'ଯ'ମାନ'ଯୁ'ପ୍ରକ୍ଷେପ'
ଯ'କୌଣସି'ଧାରୀ' ଶାରୀ'ପୁରୁଷ'ଦ' ଶାରୀ'ପୁରୁଷ'ଶକ୍ତି'କୁ' ଯଥା'ପୈକ'ଶ୍ରୀ'କୁଣା'କବ୍ରାଷ'ପେଦ'ଶ୍ରୀ'ଦ' ଯଥା'
ପ୍ରକ୍ଷେପ'ଦ' କୌଣସି'ଶକ୍ତି'କବ୍ରାଷ'କୁ' ଦେବ' ସମ୍ମର୍ଶ'ଶ୍ରୀ'ଦ' ବିଷ'ଶାଖା'ପୁରୁଷ'ଯଦୀ' ଶିକଳା'ପୁରୁଷ'ଦ'
ଶ୍ରୀ'ଯାତ୍ରିଶାହ' ଶିଦା'ପୁରୁଷ'ଦ' ପୁରୀନା' ଦେବ'ଯଥା'ପୈକ'ଶ୍ରୀ'କୁଣା'କବ୍ରାଷ'ପେଦ'ଶ୍ରୀ'ଦ' ଯଥା'ଦିବ'କୁ'ଯୁ'କୁଣା'କବ୍ରାଷ'ପେଦ'

୫.୩ ଶୂଳ'ର'ଧୀନ' ହି'ଅଦିକାରୀ'ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ'ପି'ତର'ମହାକ୍ରମ'ଲିଙ୍ଗ'ନ୍ଯା'ପେଟ'ଶ୍ଵର'ଶକ୍ତି'କୁ'ଉତ୍ତରଣ'ନ୍ଯାଦ'
ନୋଟା ପ୍ରିୟ'କେନ୍ଦ୍ର'ଲିଙ୍ଗ'ନ୍ଯାଦ'କେନ୍ଦ୍ର'ନ୍ଯା' ଏବେ'ନ୍ଯାମ'କୁ'ଯୁ' ଯାଦ'ମୌଖ'ନ୍ଯାଦ' ବିଶ୍ୱାସ'ପି'ତର'ମହାକ୍ରମ'
ନ୍ଯାଦ' ପ୍ରିୟ'କେନ୍ଦ୍ର'ଲିଙ୍ଗ'ନ୍ଯାଦ'କେନ୍ଦ୍ର'ନ୍ଯା'ପେଟ'ଶ୍ଵର'ଶକ୍ତି'କୁ'ଉତ୍ତରଣ'ନ୍ଯାଦ'

୬. ପରିଚୟ

6.9 ພັດທິນາດໍາລົດກະບົດພົມພວມ ພັດທິນາດໍາລົດກະບົດພົມພວມ ສູງສຸດ ປະເທດລາວ ປະເທດລາວ
ພົມພວມ ພັດທິນາດໍາລົດກະບົດພົມພວມ ພັດທິນາດໍາລົດກະບົດພົມພວມ ສູງສຸດ ປະເທດລາວ

၆.၂ ရန်'ဖီရ'နှင့်မြန်'ချု' ဆွဲ'အောင်'ပျော်'ရွှေ' ရန်'ဆတ်'ချု'ရွှေ' ရန်'ပျော်'ရွှေ'နှင့်'ရွှေ'

ग १ श्वेतकेशस्त्रीर्द्धवायुवायस्यद्विषयते एवं द्विषयते विषयस्य विषयस्य ग्रीष्मे विषयस्य विषयस्य

ସାହୁ କେଣାଶ'ଅ'ପାଦଲିଙ୍ଗ'ଧୀନ' ମୈତାଶ'ଗୁ'ରବେଶ'ଦୂଷନ୍ଦ୍ରପରିବେଶ'ପ୍ରୟୁ' ଏହାକେଣାଶ'ଧୀନ'ଦୂଷନ୍ଦ୍ରପରିବେଶ'ପ୍ରୟୁ'କୁ'ଦୂଷନ୍ଦ୍ରପରିବେଶ'ପ୍ରୟୁ'

୮୩ ପଦ୍ମଦେଵଶତ୍ରୁହିନ୍ଦୁଃ ଶ୍ରୀମାତାକୁମାରପଦ୍ମଦେଵଶତ୍ରୁହିନ୍ଦୁଃ ଶ୍ରୀମାତାପଦ୍ମଦେଵଶତ୍ରୁହିନ୍ଦୁଃ

४५

‘**ਬੈਠੇਮ**’ ਅਵਾਂ ਪੜ੍ਹਲਾਂ ਕੌਣਸਾ ‘ਸਾਡਾਕੀਆਂ ਸੀਏ’ ਥਾਵਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਵਲਾ’ ਸੜ੍ਹਦਾਂ ਦੁਆਰੇ ਆਵੇਂ
ਕੁਝ ਵਧਾਵਿਆਂ ਸੱਭਾਗੀਂ ਕੌਣਸਾ ‘ਪਾਲੀ ਵਾਗਾਵਾਂ’ ਤੋਂ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਪਾਲੀ’ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਨੁੰਦਲਾਗੀ
ਸੱਭਾਗੀਂ ਸੁਖਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲਾਂ ਕੌਣਸਾ ‘ਸਾਕਨਾ’ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵਲਾਂ
ਕੁਝ ਵਧਾਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲਾਂ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਵਲਾਂ’ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਵਲਾਂ’ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਵਲਾਂ’ ਕੌਣਸਾ ‘ਧਰਮੀ ਵਲਾਂ’

୫. ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଇପୁଣ୍ୟକାଳୀ

୧୨ ଶାକ'ପିଣ୍ଡାଦେ କର୍ମକୁହାଳାଶ'ବର୍ଗାଦୁଷତି'ଲେଖ'ଶ୍ରୀଦଶ'ବସ'କାପରିଷା'ଯେତୁ



१३ केषणा'य'षाद्युद्यीपा' विरुद्धाशुक्रुद्धक्षुप्तिष्ठा'स्त्रेषा'यो'यात्पर्य'वस्त्रुषाणा'शुप्त'स्त्रेषा'पत्ना' षट्पिणा'दे' क्लेवेद्य'षाद्युद्देक्षणा।

୧.୩ ଶାପ୍-ଶ୍ରୀନ୍ଦିତ “ଶାଲାପାଦକ୍ଷଣାମ” ଦେଖିଯାଇବାକୁଥାରୁ ଏହାପାଦକ୍ଷଣାମରେ କେନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟାମାନେ ଶ୍ରୀନ୍ଦିତ ଏବା ଶାଲାପାଦକ୍ଷଣାମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚାରକାଙ୍କାରେ ଉପରେରେଣ୍ଟା

८. ପାଞ୍ଜାବ'ଲିଙ୍ଗ'ହର' ବୈଷଣା'ଘଟନା

၂၀. နှောက်ရှိသူများ

བྱଧ'ཡිණ'දେ དྲ୍ଯୁତ୍ୟ'କୁର୍ମ'ଶିଷ୍ଯ'ଦନ୍ତ'ଦେବ'ପଶ୍ଚିମ'ପଦ୍ମ' དୟାପ'ଶାଠନ୍ଦ'ଦନ୍ତ'ଦେବ'ଦିଵାରୀ' କୁର୍ମ' ହୃଦୟ'ପଦ୍ମ'ଦେ କୈଶ'ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ'ଶ୍ରୀଶ' ଶ୍ରୀଶ'କୁର୍ମ'ଦନ୍ତ' ହୃଦୟ'ପଦ୍ମ' ଦେ'ପଶ୍ଚିମ'ପଦ୍ମ'ପୁ' ଦୂର' ଦ୍ଵାରୀ'ଦଶଦ'ଦେବ'ଦନ୍ତ' ଦେ'ପଶ୍ଚିମ'ଦଶଦ' କୁର୍ମ'ହୃଦୟ'ଦେ ପାତ୍ରଦ'ଦେବ'ଶ୍ରୀ'ଶାଶ୍ଵତ'ହନ୍ତ'ପୁ'ତୁ'ଶାଶ୍ଵତ' ଦଶଦ'ଦେବ'ଶ୍ରୀ'ଶାଶ୍ଵତ'ହନ୍ତ'

୨୭. ଶକ୍ତିଶୀ

ཇාත්‍යාච්ඡා දැනු තුළ වෙත යොදී යිඹා ප්‍රේරණ ද සහා දැනු තුළ මූල්‍ය ද සෑවා ද සෑවා ද සෑවා ද සෑවා ද සෑවා

୨୩. ଲାକ୍ଷଣ୍ୟମେଳାଯଦୀର୍ଘମୁଦ୍ରା

‘શાન્તિ’ એવી વિષયાની જીવનાની અધ્યાત્મિક સ્તરના પરિણામ હૈ.

୨ ସର୍ବଦାଭୁଷାଧିକ୍ରମୀ

‘**ପ୍ରମୁଖ ଧୀର୍ଜନ**’ ଅତିକାଳେ ଦେଶରେ ଏହାର ପରିଚାରକ ହେଉଥିଲା ।

(፳፻፲፭)

୨ କର୍ମକଳୀ (ଆଦିଷ୍ଵାରୀ/ଶିଥି)

ଶ୍ରୀପାତ୍ରଶ୍ରୀମୁଦଳକେନ୍ଦ୍ରଜିତପାତ୍ରଶ୍ରୀମଣ୍ଡଳୀଶ୍ଵର (ଶ୍ରୀଅତୀଶୀ)

#6

୪୩

४०८

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

1

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ସଂକଷିପ୍ତ

卷之三

କୌଣସି

